

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 212101202203

प्राप्त क्रमांक : 212101 प्राप्त का नाम / परगना : मगवार(कतिह)		तहसील : खालाज		जनापद : फिर्जापुर		कसती वर्ष : 1428-1433 भाग : 1	
खता खतीनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आग्रा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आग्रा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
शेपी : 5-3-8 / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।							
00255	बंजर / /		63क.	0.7080		वाद से0 विविध जिलाधिकारी मीरजापुर-18-2-022 उ0प्र0 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शा0सं0-32744/एक-1-2016-20(5)/ 2016 दि0 3-6-016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0रा0सं0 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन्-2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-687/एक-1-2020-20 (5)/ 2016 दिनांक 6-7-2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मे प्रवीण कुमार लक्ष्मिकर, जिलाधिकारी, मीरजापुर संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक गाँव पंचायतों/स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम मतवार तहसील-खालाज मीरजापुर श्रेणी-5(3)(ड) बंजर खाते की आ0नं0 462कमी0 रकबा 3.1219 हे0 जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वर्तन पर रखा जाता है। पुनर्प्राप्त भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित	

10/08/2022
 मगवार तहसील
 खालाज

प्रयोजन में ही किया जाएगा । यदि किसी कारणवश
उक्त भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर
नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गांव सभा में
निहित हो जायेगी। इ0र0का024-2-022

155	0.0130	
161क	0.0130	
169	0.2400	
178	0.1390	
188	0.1140	
375क.	0.0380	
461क	2.7060	
461च	0.5060	
462क	8.7140	
862ड0	0.1260	
882क	0.6200	
491ख	0.6070	
492क	2.0360	
494ख	2.5290	
508क.	3.1610	
510ख	6.9810	
511ड0	0.1900	
512क	1.5180	
558	0.7590	
726क	0.1260	
733ख	0.2150	
734ख	1.7330	
739मि	0.0630	
740मि	0.0510	
464कमि	0.3540	
794	0.2660	
811क	0.2280	कम्प्यूटर
1277	0.0510	को-तह
1635	0.1260	कां

		1746	0.0130		
		1747क	0.0130		
		1755क	0.0380		
	कुल गाटे-चार आठ	कुल क्षेत्रफल-चार पाँच दशमलव एक तीन नौ शून्य (हिस्टेयर)	कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये		
		48	45.1390	₹ 0.00	1
					0
Data Digitally Signed by: Brahmdev Dubey					
उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेशिकेयन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर प्रमाणित किया जा सकता है। - तहसील					
सहस्र अधिकारी: PREETA SHARMA तहसील: लालां चनपद: मिर्जापुर दिनांक एवं समय: 29-03-2022 12:21:39 यह उद्घरण खतौनी दलेक्यूनिफ डिजीवरी सिस्टम द्वारा वेयर की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।					

कुल क्षेत्रफल-चार पाँच दशमलव एक तीन नौ शून्य (हिस्टेयर)



सहस्र अधिकारी: PREETA SHARMA
तहसील: लालां चनपद: मिर्जापुर
दिनांक एवं समय: 29-03-2022 12:21:39
यह उद्घरण खतौनी दलेक्यूनिफ डिजीवरी सिस्टम द्वारा वेयर की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

आदेश

उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020 -20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, मीरजापुर संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक गाँव पंचायतों/स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ ।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हि०)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मीरजापुर	लालगंज	कंति	मतवार	462कमि 0	3.1219	श्रेणी-5(3) (इ) बंजर	जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले ग्राम सभा की भूमि वन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ के निर्वर्तन पर रखा जाता है।

पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में ही किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उक्त भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गाँव सभा में निहित हो जाएगी।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर ।

संख्या-1192 /जि०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्रहण/पत्रा०सं०-115/2021

दिनांक: फरवरी 18, 2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ ।
2. अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, वन अनुभाग लखनऊ ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर ।
4. अधिशासी अभियन्ता, आभाव खण्ड, उ०प्र० जल निगम मीरजापुर।
5. उप जिलाधिकारी लालगंज मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पुनर्ग्रहीत भूमि नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में करवाते हुये कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
6. अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम मतवार तहसील लालगंज मीरजापुर ।

18/02
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।